42

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2201-तीन/2006 - विरूद्ध आदेश दिनांक 5-9-2006 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 547/1994-95 अपील

श्रीमती पेसुन्नी देवी पत्नि शॅकरप्रसाद अग्रवाल
निवासी फोर्ट रोड रीवा, मध्य प्रदेश -----आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0शासन ------अनावेदक

(आवेदक के श्री आई0पी0द्विवेदी अभिभाषक)
(अनावेदक के श्री अनिल श्रीवास्तव पैनल लायर)

आ दे श
(आज दिनांक 11-01-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 547/1994-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-9-2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है राजस्व निरीक्षक नजूल रीवा ने तहसीलदार नजूल रीवा को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि आवेदिका ने शासकीय प्लाट कमांक 313/1 के अंश भाग 92.50 वर्गमीटर पर लकड़ी का शेड बनाकर बेजा कब्जा लिया है। तहसीलदार

नजूल रीवा ने आवेदक के विरूद्ध को म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के अंतर्गत प्रकरण कमांक 116 अ-68/88-89 पॅजीबद्ध किया तथा कारण बताओ नोटिस जारी किया। आवेदक ने नोटिस लेने से मना कर दिया जिसके कारण नोटिस अदम तामील वापिस आया। आवेदक को पुनः नोटिस जारी किया गया, तब आवेदक ने पुनः नोटिस लेने से इंकार कर दिया। इसके उपरांत नोटिस का निर्वहन चस्पीदगी से कराया गया, फिर भी आवेदक तहसील न्यायालय में अनुपस्थित रही । फलतः उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये तहसीलदार ने जांच उपरांत आदेश दिनांक 29-4-1989 पारित किया तथा आवेदक पर अतिक्रमण प्रमाणित पाये जाने से रू. 400/- अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये बेदखली के आदेश दिये।

आवेदक ने तहसीलदार नजूल रीवा के आदेश दिनांक 29-4-89 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर ने प्रकरण कमांक 97/अ-68/1988-89 अपील में पारित आदेश दिनॉक 7-8-1992 से अपील अमान्य की। आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर के आदेश दिनॉक 7-8-1992 के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 547/ 1994-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-9-2006 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायाल के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध सुनवाई का

विधिवत् अवसर दिए बिना आदेश पारित नहीं किया जा सकता । यह भी निर्विवाद है कि नजूल तहसीलदार ने आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करके अर्थदण्ड एंव बेदखली की कार्यवाही की है तथा सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। इस पर अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त ने भी आदेश पारित करते समय ध्यान नहीं दिया है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर तीनों न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जॉय।

शासन के पैनल लायर का तर्क है कि आवेदक को सूचना भेजी गई थी वह नगरीय क्षेत्र के शासकीय प्लाट कमांक 313/1 के भाग 92.50 वर्गमीटर पर बेजा कब्जा करके लकड़ी का सेड बनाकर अतिक्रमण किये थी एंव अतिक्रमण करना तहसीलदार ने प्रमाणित पाया है जिसके कारण तहसीलदार नजूल रीवा के आदेश दिनांक 29-4-89 को अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त ने हस्तक्षेप योग्य नहीं समझा है । उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग कीं।

5/ आवेदक के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक नगरीय क्षेत्र के शासकीय प्लाट कमांक 313/1 के भाग 92.50 वर्गमीटर पर बेजा कब्जा करके लकड़ी का सेड बनाकर अतिक्रमण किये थी, जिसके कारण आवेदक को बचाव प्रस्तुत करने के उद्धेश्य से तहसीलदार नजूल ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आवेदक ने नोटिस लेने से मना कर दिया एंव नोटिस अदम तामील वापिस आया। तदुपरांत आवेदक को पुनः नोटिस जारी किया गया, आवेदक ने पुनः नोटिस लेने से मना कर दिया। इसके उपरांत नोटिस का निर्वहन चस्पीदगी से कराया गया, फिर भी आवेदक तहसील न्यायालय में अनुपस्थित रही। इसके वाद भी आवेदक के अभिभाषक का यह कहना कि तहसीलदार नजूल ने आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया , आवेदक के

अभिभाषक यह तर्क माने जाने योग्य नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर ने आदेश दिनॉक 7-8-1992 में एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 5-9-2006 पारित करते समय तहसीलदार के आदेश को इन्हीं कारणों से हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 547/ 1994-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-9-2006 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर